



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2017/आश्विन 13, 1939

No. 818]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2017/ASVIN 13, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1221(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (2) के खंड (i) में, "3000" अंकों के स्थान पर, "6000 रुपए की बैठक फीस" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 86/2017/फा.सं. 370142/29/2017-टीपीएल]

पीतांबर दास, निदेशक (टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक. 969(अ), तारीख 26.03.1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1028(अ) तारीख 18.08.2017 द्वारा किया गया था।